[2018] 13 एससीआर 830

पी.ई.सी. लिमिटेड

बनाम

ऑस्टबल्क शिपिंग एसडीएन बीएचडी

(2007 की सिविल अपील संख्या 4834)

14 नवंबर 2018

[एएम खानविलकर और एल. नागेश्वर राव, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, *1996:*

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

आयोजित*: 1.1* मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, *1996* का भाग *II* विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है। मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में दिया गया एक मध्यस्थ पुरस्कार, जिसकी मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्धारित विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार, 1958 ("न्यूयॉर्क कन्वेंशन") को "विदेशी पुरस्कार" के रूप में परिभाषित किया गया है। [पैरा 10][840-एबी]

**1.2** 1996 अधिनियम की धारा 47 में कहा गया है कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को आवेदन के समय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा: (ए) मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति, आवश्यक तरीके से विधिवत प्रमाणित उस देश के कानून द्वारा जिसमें इसे बनाया गया था; (बी) मध्यस्थता के लिए मूल समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति, और (सी) ऐसे साक्ष्य जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं कि पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार है। [पैरा 10][840-सीडी]

**1.3** यह स्वीकार तथ्य है कि, प्रवर्तन के लिए आवेदन दाखिल करते समय प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता समझौते की एक प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी। से यह स्पष्ट है रिकॉर्ड है कि अपीलकर्ता ने अपने उत्तर के साथ मध्यस्थता समझौते को रखा और उसके बाद प्रतिवादी ने अदालत में मूल मध्यस्थता समझौते को भी दाखिल किया।

यह सही नहीं है कि 'शाल' शब्द आने के मद्देनजर धारा **47**, पुरस्कार दाखिल करते समय मध्यस्थता समझौते का उत्पादन अनिवार्य है। शब्द "करेगा" अधिनियम की धारा **47** में प्रदर्शित होता है आवेदन के समय प्रावधान में निर्दिष्ट साक्ष्य के उत्पादन से संबंधित "हो सकता है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। **[पैरा 12][841-सीई]**

**1.4** शब्द "करेगा" अपने सामान्य अर्थ में "अनिवार्य" है।

लेकिन न्यायालयों ने विभिन्न परिस्थितियों में इस शब्द का अर्थ लगाया मतलब "हो सकता है"। किसी क़ानून का दायरा और उद्देश्य यह निर्धारित करने में एकमात्र मार्गदर्शक हैं कि क्या इसके प्रावधान निर्देशिका या अनिवार्य हैं। न्याय न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वह लागू किए जाने वाले क़ानून के पूरे दायरे पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के वास्तविक इरादे को जानने का प्रयास करें। **[पैरा 13][841-एफ]**

**1.5** शब्द "करेगा", हालांकि प्रथम दृष्टया अनिवार्य चरित्र का आभास देता है, कानून के दायरे, इसकी प्रकृति और डिजाइन और इसके परिणामों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के इरादे के प्रकाश में विचार किया जाना आवश्यक है। इसकी प्रकृति डिजाइन और उसके परिणाम जो एक या दूसरे प्रकार से उसके निर्माण से पता चलेगा। उसके निर्माण से प्रवाहित होगा एक तरह से या अन्य। न्यायालय को उस दुराशय को ध्यान में रखना आवश्यक है जो "होगा" शब्द को "हो सकता है" के रूप में बनाने से उत्पन्न होगी। क्या सार्वजनिक सुविधा की सेवा की जाएगी या क्या इसे अनिवार्य बनाए रखने से सार्वजनिक असुविधा या सामान्य असुविधा हो सकती है। **[पैरा 14][841-जी; 842-एबी]**

**1.6** अधिनियम की धारा **46** एक विदेशी पुरस्कार को अधिनियम के तहत उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी बनाती है जिनके बीच यह दिया गया है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन का अनुच्छेद **III** प्रत्येक अनुबंधित राज्य द्वारा मध्यस्थ पुरस्कारों को बाध्यकारी मानने का प्रावधान करता है। मध्यस्थ पुरस्कारों का प्रवर्तन उस क्षेत्र के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार होगा जहां पुरस्कार लागू करने की मांग की गई है। अनुच्छेद **III** पर्याप्त मात्रा में अधिरोपण को प्रतिबंधित करता है। मध्यस्थ पुरस्कारों को लागू करने के लिए कठिन शर्तें. अनुच्छेद **IV** में मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को आवेदन के समय एक प्रमाणित मूल पुरस्कार या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति और अनुच्छेद **II** में निर्दिष्ट मूल समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति दाखिल करने की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद **IV** में "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है। **[पैरा 15][842-सीडी; 843-एबी]**

**1.7** न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उद्देश्य और उद्देश्य इसके दायरे में मध्यस्थता समझौते की मान्यता और विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। इस उद्देश्य और उद्देश्य को, सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाली कानूनी व्यवस्था की प्रभावशीलता को बढ़ाने के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। **[पैरा 16][843-सीडी]**

**1.8** प्रवर्तन के लिए न्यायालय का दृष्टिकोण एक मजबूत प्रवर्तन समर्थक पूर्वाग्रह, व्यावहारिक, लचीला और गैर-औपचारिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। कई देशों में न्यायालय न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद **IV** की औपचारिक आवश्यकताओं की व्याख्या करने में उदार रहे हैं। विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के मामले में अत्यधिक औपचारिकता की भी निंदा की गई है। **[पैरा 17][843-ई]**

**1.9** न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उद्देश्य विदेशी पुरस्कारों का सुचारू और तीव्र कार्यान्वयन है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा **47** में "करेगा" शब्द को "हो सकता है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यदि आवेदन दाखिल करते समय मध्यस्थता समझौता दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। प्रवर्तन के लिए आवेदन दाखिल करने के प्रारंभिक चरण में, धारा **47** में उल्लिखित दस्तावेजों के उत्पादन का अनुपालन न करने पर पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। प्रवर्तन की मांग करने वाले पक्ष को मध्यस्थता समझौते को दाखिल न करने के दोष को ठीक करने के लिए कहा जा सकता है। समझौते की वैधता बाद के चरण में ही तय की जाती है
प्रवर्तन कार्यवाही. **[पैरा 19][844-बीई]**

**1.10** अधिनियम की प्रस्तावना जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (**UNCITRAL**) ने **UNCITRAL** मॉडल कानून को अपनाया है **1985** में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता ("मॉडल कानून") और यह अधिनियम मॉडल कानून और नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मॉडल कानून का अध्याय **VIII** पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद **35 (2)** में प्रावधान है कि पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति प्रदान करेगी। मॉडल कानून मान्यता और प्रवर्तन के प्रक्रियात्मक विवरण नहीं देता है, जो बाकी हैं राष्ट्रीय प्रक्रियात्मक कानूनों और प्रथाओं के लिए। हालाँकि, औपचारिक आवश्यकताओं को उदार बनाने के लिए **2006** में अनुच्छेद

35 (2) में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 35(2) के तहत मध्यस्थता समझौते की एक प्रति प्रस्तुत करना अब आवश्यक नहीं है। [पैरा 18][843-एफ; 844-एबी]

1.11 धारा 48 जो उन आधारों को संदर्भित करती है जिन पर किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार किया जा सकता है, इसमें धारा 47 में उल्लिखित दस्तावेजों को दाखिल न करना शामिल नहीं है। विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए एक आवेदन केवल धारा 48 में निर्दिष्ट आधार पर खारिज किया जा सकता है इससे भी सहायता मिलेगी। दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता को देखें आवेदन के समय धारा 47 में उल्लिखित अनिवार्य होने का इरादा नहीं था। शब्द "होगा" की "हो सकता है" के रूप में उक्त व्याख्या केवल आवेदन दाखिल करने के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित है, उसके बाद नहीं। [पैरा 20,21][844-एफजी; 845-ए]

2. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनुबंध किसके द्वारा शासित होता है अंग्रेजी कानून जिसके तहत चार्टर पार्टी को बाध्यकारी बनाने के लिए पार्टियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रचुर मात्रा में सामग्री की जांच मध्यस्थ और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए की गई कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद था। अधिनियम की पहली अनुसूची का अनुच्छेद II मध्यस्थता समझौते को एक अनुबंध या एक में मध्यस्थ खंड को शामिल करने के रूप में परिभाषित करता है। मध्यस्थता समझौता, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित या पत्रों या टेलीग्राम के आदान-प्रदान में निहित। उच्च न्यायालय ने पाया कि चार्टर पार्टी जिसमें मध्यस्थता समझौता शामिल था, उस पर पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और उसमें प्रवेश किया गया था और यह पार्टियों के बीच पत्राचार द्वारा समर्थित है। अनुच्छेद II में "लिखित समझौता" शब्द बहुत व्यापक है। एक मध्यस्थ खंड को किसी अनुबंध या एक मध्यस्थ समझौते में आवश्यक रूप से पाया जाना आवश्यक नहीं है। इसे पार्टियों के बीच पत्राचार में भी शामिल किया जा सकता है। वर्तमान मामले में मध्यस्थता समझौता चार्टर पार्टी में पाया जाता है जिसे मध्यस्थ और उच्च न्यायालय दोनों ने स्वीकार कर लिया है। इस बिंदु पर उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न होने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 22][845-डीजी]

रानी दृग राज कुएर बनाम राजा श्री अमर कृष्ण नारायण सिंह, [1960] 2 एससीआर 431; मोहन सिंह बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1997) 9 एससीसी 132: [1996] 8

आपूर्ति. एससीआर **569** - पर निर्भर।

दरदाना लिमिटेड बनाम युकोस ऑयल कंपनी**[2002] 1** ऑल ईआर **(**कॉम.**) 819;**काल्डो बनाम पिक्सवेल**(1876) 2** सीपीडी **562** - संदर्भित।

अल्बर्ट वैन डेन बर्ग द्वारा **1958** का न्यूयॉर्क पंचाट सम्मेलन;क़ानून क़ानून पर क्रेट, 5 वां संस्करण; 1958 न्यूयॉर्क कन्वेंशन की व्याख्या के लिए आईसीसीए की मार्गदर्शिका: न्यायाधीशों के लिए एक पुस्तिका" (2011) पृष्ठ। XI - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

**[1960] 2** एससीआर **431**पर भरोसा पैरा **13**

**[1996] 8** पूरक। एससीआर **569** पर भरोसा
पैरा **13**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 4834

2002 की निष्पादन याचिका संख्या 195 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 18.02.2005 से

गर्वेश काबरा, अमित सिंह, श्रीमती पूजा काबरा, श्रीमती मैथिली शुभांगी, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अधिवक्ता। अपीलकर्ता के लिए.

मनोज क्र. खन्ना, एमके सिंह, आरके खन्ना, प्रतिवादी के वकील।
न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एल नागेश्वर राव**,** जे.1. इस अपील में एक विदेशी पुरस्कार दिनांक 30.05.2001 को लागू करने और निष्पादित करने के निर्देश देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। अपीलकर्ता ने गेराल्डटन पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया से जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, भारत (जेएनपीटी) तक भारी मात्रा में 16,500 मीट्रिक टन से लेकर अधिकतम 17,000 मीट्रिक टन चने की न्यूनतम मात्रा के परिवहन के लिए प्रतिवादी से एमवी "रुबिन हैलीकॉन" किराए पर लिया। चार्टर पार्टी दिनांक 20.04.2000 ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रदान किया:

"बॉक्स 8

डिस्चार्ज पोर्ट या स्थान

"आईएसपी/1-2 एसबी जेएनपीटी डिस्चार्ज पोर्ट पर लेट टाइम या विलंब शुल्क पर समय के रूप में दूसरी बर्थ के लिए नियंत्रण के लिए सीएल.3 शिफ्टिंग समय देखें।"

बॉक्स 14

विश्राम का समय

“अपरिवर्तनीय लोड/डिस्चार्ज 3,000 मीट्रिक टन। पीडब्लूडी. शनिवार दोपहर/SHEX EIU/2000 mt PWWD शनि दोपहर SHEX EIU समय दोपहर से शनिवार या एक दिन पहले कानूनी अवकाश सोमवार या अगले दिन 0800 बजे तक कार्य दिवस की गणना नहीं की जानी चाहिए।”

बॉक्स 19

लोड की विलंब शुल्क और प्रेषण दर (सीएल.16)

"यूएसडी 4,000 पीडी पीआर/आधा प्रेषण"

बॉक्स 23

डिस्चार्ज पर विलंब शुल्क और प्रेषण दर (सीएल.27)

"यूएसडी 5,000 पीडी पीआर/आधा प्रेषण"

बॉक्स 24

कार्गो डिस्चार्ज दर - प्रति मौसम मीट्रिक टन 24 लगातार घंटों का कार्य दिवस (सीएल.25)

"शनिवार दोपहर शेक्स ईआईयू, शनिवार को दोपहर से या कानूनी छुट्टी से एक दिन पहले से लेकर सोमवार या अगले सप्ताह के दिन सुबह 0800 बजे तक का समय, गिनती में नहीं आएगा।"

खण्ड 24

डिस्चार्ज करने का समय

“डिस्चार्ज का समय बंदरगाह के सामान्य रिवाज के अनुसार सामान्य कार्यालय समय के दौरान लिखित/टेलीग्राफिक या टेलीफैक्स नोटिस द्वारा तत्परता की सूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे बाद शुरू होगा, चाहे वह बर्थ पर हो या डिस्चार्ज के पहले या

एकमात्र बंदरगाह पर नहीं हो। बंदरगाह सीमा के भीतर जहाज उपलब्ध कराया गया है और वह अपने माल के निर्वहन के लिए हर तरह से तैयार है...")

खण्ड 25

निर्वहन दर

"बॉक्स 24 में निर्धारित औसत दर पर कार्गो को प्रतिवादी को बिना किसी खर्च के छोड़ा जाना है"।

2. चार्टरपार्टी के नियमों और शर्तों के अनुसार, लेट टाइम 03.05.2000 को 0900 बजे शुरू हुआ। चार्टर पार्टी के अनुसार प्रति दिन 3,000 मीट्रिक टन की लोड दर वैध थी और लोडिंग के लिए निर्धारित समय 5.5 दिनों के बराबर था। कार्गो की लोडिंग ऑस्ट्रेलिया के गेराल्डटन पोर्ट पर 01.05.2000 को 10.10 बजे शुरू हुई और 02.05.2000 को 12.40 बजे पूरी हुई। जहाज़ 15.05.2000 को 0305 बजे जेएनपीटी पहुंचा, जिस समय मास्टर ने तत्परता की सूचना दी। अपीलकर्ता द्वारा जहाज को नजदीकी बंदरगाह यानी मुंबई ले जाने का अनुरोध किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया और जहाज को मुंबई बंदरगाह पर ले जाया गया। डिस्चार्ज के लिए अनुमत समय की गणना प्रति दिन 2,000 मीट्रिक टन की डिस्चार्ज दर के आधार पर की गई थी और डिस्चार्ज के लिए अनुमत समय 8.25 दिन था। कार्गो मात्रा 16,500 मीट्रिक टन को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों ने प्रति दिन 6250 अमेरिकी डॉलर की दर से 20.9493 दिनों की अवधि के लिए विलंब शुल्क की गणना की और अपीलकर्ताओं से भुगतान करने का अनुरोध किया। गेराल्डटन में प्रेषण और बॉम्बे में विलंब शुल्क को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी द्वारा 22.06.2000 को एक अंतिम माल ढुलाई खाता प्रस्तुत किया गया था। अंतिम माल ढुलाई खाते से पता चला कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी को 150,362.18 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना था।

3. प्रतिवादी ने श्री विलियम रॉबर्टसन एस्क, 47 पेरीमाउंट रोड, हेवड्र्स हेल्थ, वेस्ट ससेक्स, आरएच 16 3 बीएन को अपना नामांकित मध्यस्थ नियुक्त किया और अपीलकर्ता को अपना मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए बुलाया गया। जैसा कि पत्र दिनांक 19.09.2000 में बताया गया है, अपीलकर्ता ने 14 दिनों के भीतर अपना मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया। 13.03.2001 को, प्रतिवादी ने सहायक दस्तावेजों के साथ अपना दावा दायर किया। मध्यस्थ अपीलकर्ता को 17.04.2001 से पहले प्रतिदावे, यदि कोई हो, के साथ

अपना बचाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता ने एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया प्रस्तुत की लेकिन मध्यस्थता में भाग नहीं लिया। मध्यस्थ आगे बढ़ा और अंततः प्रतिवादी को 1 जुलाई, 2000 से भुगतान की तारीख तक तीन-मासिक अंतराल पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 150,362.18 अमेरिकी डॉलर दिए।

4. अंतिम पुरस्कार के कारण मध्यस्थ द्वारा अलग से दिए गए थे। मध्यस्थ ने अपीलकर्ता की ओर से की गई दलीलों को विस्तृत तरीके से निपटाया। अपीलकर्ता का यह तर्क कि उन्होंने चार्टर पार्टी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और वे लंदन मैरीटाइम आर्बिट्रेशन एसोसिएशन द्वारा मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं थे, मध्यस्थ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कोई बाध्यता नहीं है कि चार्टर पार्टी या अनुबंध के तहत हस्ताक्षर करना होगा। अंग्रेजी कानून. मध्यस्थ ने फोर्ब्स गोकक लिमिटेड, पालवोल्क डिवीजन (अपीलकर्ता के दलाल) के श्री ससी नायर और श्री इयान लैटिमर के बीच पत्राचार का उल्लेख किया एसएसवाई (प्रतिवादी के दलाल) ने दिखाया कि फिक्स्चर बनाया गया था अपीलकर्ता के खाते के लिए. यह दर्शाने वाले दस्तावेज़ कि क्षतिपूर्ति पत्र अपीलकर्ता की ओर से जारी किया गया था और भाड़े का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा किया गया था, मध्यस्थ द्वारा इस निष्कर्ष पर भरोसा किया गया था कि अपीलकर्ता के दलाल उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत थे। रिकॉर्ड पर अन्य सबूत भी थे जिनका उल्लेख मध्यस्थ ने किया था दिखाया गया कि अपीलकर्ता ने स्वयं पूरी तरह से भाग लिया और जब जहाज को जेएनपीटी से मुंबई बंदरगाह तक यात्रा करनी थी तो क्षतिपूर्ति पत्र प्रदान करने के अलावा भाड़े का भुगतान भी किया। मध्यस्थ ने अपने दावे के समर्थन में प्रतिवादी की गणना को स्वीकार किया और माना कि प्रतिवादी 150,362.18 अमेरिकी डॉलर के अपने दावे को साबित करने में सफल रहा।

5. प्रतिवादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एकमात्र मध्यस्थ श्री विलियम रॉबर्टसन द्वारा पारित दिनांक 30.05.2001 के फैसले को लागू करने के लिए एक याचिका दायर की। अपीलकर्ता ने प्रवर्तन याचिका पर अपनी आपत्तियाँ दायर कीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि जिस पुरस्कार को लागू करने की मांग की गई थी वह लंदन में बनाया गया था और यूनाइटेड किंगडम न्यूयॉर्क कन्वेंशन में एक पक्ष था। यूनाइटेड किंगडम भी एक है पारस्परिक क्षेत्र और इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि मध्यस्थता समझौते की एक विधिवत प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता द्वारा उसके द्वारा दायर उत्तर के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने पाया कि माना कि प्रतिवादी ने मूल चार्टर पार्टी समझौते को रिकॉर्ड में रखा है जिसमें प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान मध्यस्थता खंड शामिल था। उच्च

न्यायालय द्वारा जिस मुख्य बिंदु पर विचार किया गया वह आवेदन की प्रस्तुति के समय दायर किए गए मूल समझौते की प्रमाणित प्रति के बिना पुरस्कार को लागू करने के लिए याचिका की स्थिरता थी। उच्च न्यायालय का विचार था कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था क्योंकि मध्यस्थता समझौते की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई थी। उच्च न्यायालय के अनुसार, अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रवर्तन के लिए दायर किया गया आवेदन निष्पादन की प्रकृति में था और यदि आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए थे, तो निर्णय लेने वाले फोरम का दायित्व है कि वे इसे वापस कर दें।अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए भी यही। दोषों को ठीक करने के बाद याचिका को दोबारा दाखिल करना किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं है।

6. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से की गई दलीलों को खारिज कर दिया कि कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था। इस बिंदु पर मध्यस्थ की विस्तृत चर्चा का उल्लेख करने के अलावा, उच्च न्यायालय ने पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार और रिकॉर्ड पर रखी गई प्रासंगिक सामग्री का विश्लेषण किया ताकि यह माना जा सके कि मध्यस्थता समझौता मौजूद था। अंत में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि जिस पुरस्कार को लागू करने की मांग की गई थी वह वैध विदेशी पुरस्कार नहीं था, जैसा कि अधिनियम की धारा 44 के तहत परिभाषित किया गया है।

7. उच्च न्यायालय का निर्णय 18.02.2005 को पारित किया गया था और इस अपील में हमारे द्वारा 15.04.2005 को नोटिस जारी किया गया था। हमने 29.08.2005 को फांसी पर रोक लगा दी।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री गर्वेश काबरा ने उन बिंदुओं को दोहराया जो उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए थे। उन्होंने अधिनियम के भाग II का उल्लेख किया और हमें विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के लिए आवेदन दाखिल करते समय न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता के लिए मूल समझौता प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रवर्तन के लिए आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था कि आवेदन दाखिल करने के समय मध्यस्थता समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने चार्टर पार्टी पर हस्ताक्षर नहीं

किए और पार्टियों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं हुआ। उनके अनुसार, मध्यस्थता की कार्यवाही क्षेत्राधिकार की कमी के दोष से ग्रस्त है। उन्होंने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि शुरू में दायर किया गया चार्टर पार्टी समझौता मूल समझौता नहीं था और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समझौते में कुछ विसंगतियां थीं। चूँकि इस बिंदु पर मध्यस्थ या उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, हमने उन्हें सूचित किया कि हम इस मुद्दे पर निर्णय नहीं देंगे।

9. इस मामले में हमारे विचार के लिए जो बिंदु उठते हैं वे हैं

**a)** क्या अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रवर्तन के लिए कोई आवेदन खारिज किया जा सकता है यदि वह मध्यस्थता समझौते के साथ नहीं है?

**b)** क्या पार्टियों के बीच कोई वैध मध्यस्थता समझौता है और किसी पार्टी द्वारा चार्टर पार्टी पर हस्ताक्षर नहीं करने का क्या प्रभाव पड़ेगा?

**10.** इस अधिनियम द्वारा विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 को निरस्त कर दिया गया। अधिनियम का भाग II विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है। मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में दिया गया एक मध्यस्थ पुरस्कार, जिसे विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 (इसके बाद "न्यूयॉर्क कन्वेंशन" के रूप में संदर्भित) की पहली अनुसूची में निर्धारित किया गया है। लागू अधिनियम को "विदेशी पुरस्कार" के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 47 में कहा गया है कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी को आवेदन के समय अदालत के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

> "(ए) मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति, उस देश के कानून द्वारा अपेक्षित तरीके से विधिवत प्रमाणित बनाया;
>
> (b) मध्यस्थता के लिए मूल समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति, और
>
> (c) ऐसे साक्ष्य जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हों कि पुरस्कार दिया गया है यह एक विदेशी पुरस्कार है।"

11. अधिनियम की धारा 48 का उल्लेख करना भी आवश्यक है जो विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान करता है। धारा 48 के अनुसार, न्यायालय उस पक्ष के अनुरोध पर किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार कर सकता है जिसके खिलाफ इसे लागू किया गया है, ई बशर्ते कि पक्ष न्यायालय को सबूत प्रस्तुत करे कि

"(ए) धारा 44 में निर्दिष्ट समझौते के पक्ष, उन पर लागू कानून के तहत, कुछ अक्षमता के तहत थे, या उक्त समझौता उस कानून के तहत वैध नहीं है जिसके लिए पार्टियों ने इसे अधीन किया है या, उस पर किसी भी संकेत के अभाव में , कानून के तहत एफ उस देश का जहां पुरस्कार दिया गया था; या

(b) जिस पक्ष के विरुद्ध पुरस्कार लागू किया गया है, उसे मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था; या

(c) यह पुरस्कार ऐसे अंतर से संबंधित है जिस पर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के अंतर्गत विचार नहीं किया गया है या नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं: बशर्ते, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को अलग किया जा सकता है जो लोग इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णय शामिल हैं, लागू किया जा सकता है; या

(d) मध्यस्थ प्राधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार नहीं थी, या, ऐसे समझौते के विफल होने पर, उस देश के कानून के अनुसार नहीं थी जहां मध्यस्थता हुई थी; या

(e) पुरस्कार अभी तक पार्टियों के लिए बाध्यकारी नहीं हुआ है, या उस देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया गया है जिसमें, या जिसके कानून के तहत, वह पुरस्कार दिया गया था।

12. माना जाता है कि, प्रवर्तन के लिए आवेदन दाखिल करते समय प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता समझौते की एक प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने मध्यस्थता समझौते को अपने उत्तर के साथ रखा और उसके बाद प्रतिवादी ने मूल मध्यस्थता समझौते को भी न्यायालय में दाखिल किया। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलील यह है कि आवेदन दाखिल करते समय मध्यस्थता समझौते का उत्पादन अनिवार्य है, जिसका अनुपालन न करने पर आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने धारा 47 में आने वाले शब्द "करेगा" से इस प्रस्तुतिकरण के लिए समर्थन मांगा। हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति से सहमत नहीं हैं। हमारी राय है कि आवेदन के समय प्रावधान में निर्दिष्ट

साक्ष्य के उत्पादन से संबंधित अधिनियम की धारा 47 में आने वाले शब्द "करेगा" को "हो सकता है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

13.शब्द "करेगा" अपने सामान्य अर्थ में "अनिवार्य" है। लेकिन ऐसे कई निर्णय हैं जिनमें न्यायालयों ने विभिन्न परिस्थितियों में इस शब्द का अर्थ "हो सकता है" लगाया है।[1]. किसी क़ानून का दायरा और उद्देश्य यह निर्धारित करने में एकमात्र मार्गदर्शक हैं कि क्या इसके प्रावधान निर्देशिका या अनिवार्य हैं[2]. न्याय न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वह लागू किए जाने वाले कानून के पूरे दायरे पर ध्यानपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के वास्तविक इरादे को जानने का प्रयास करें।[3]

14. शब्द "करेगा", हालांकि प्रथम दृष्टया अनिवार्य चरित्र का आभास देता है, विधान के दायरे, इसकी प्रकृति और डिजाइन और इसके परिणामों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के इरादे के प्रकाश में विचार किया जाना आवश्यक है उसके निर्माण से किसी न किसी तरह प्रवाहित होना। न्यायालय को उस शरारत को ध्यान में रखना आवश्यक है जो "होगा" शब्द को "हो सकता है" के रूप में बनाने से उत्पन्न होगी। क्या सार्वजनिक सुविधा की सेवा की जाएगी या क्या इसे अनिवार्य बनाए रखने पर सार्वजनिक असुविधा या सामान्य असुविधा हो सकती है4।

15. अधिनियम की धारा 46 एक विदेशी पुरस्कार को अधिनियम के तहत उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी बनाती है जिनके बीच यह दिया गया है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन का अनुच्छेद III[5] प्रत्येक अनुबंधित राज्य द्वारा मध्यस्थ पुरस्कारों को बाध्यकारी मानने का प्रावधान करता है। [सी]मध्यस्थ पुरस्कार उस क्षेत्र के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार होंगे जहां पुरस्कार लागू करने की मांग की गई है। अनुच्छेद III मध्यस्थ पुरस्कारों को लागू करने के लिए पर्याप्त कठिन शर्तों को लागू करने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद IV[6] में मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को एक प्रमाणित मूल पुरस्कार या विधिवत प्रमाणित दाखिल करने की आवश्यकता होती है उसकी प्रति और अनुच्छेद II[7] में निर्दिष्ट मूल समझौते या आवेदन के समय उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि "करेगा" शब्द अनुच्छेद IV में प्रयुक्त है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन द्वारा जारी न्यूयॉर्क कन्वेंशन की व्याख्या के लिए गाइड द्वारा संक्षेप में न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उद्देश्य और उद्देश्य इस प्रकार है:

1
2
3

"कन्वेंशन प्रवर्तन-समर्थक पूर्वाग्रह पर आधारित है। यह मध्यस्थता समझौतों और मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाता है और सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसा करने में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की सेवा करता है। यह सीमा पार लेनदेन में प्रवेश करने वाले पक्षों के लिए वाणिज्यिक सुरक्षा का एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है''[8]

16. न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उद्देश्य और उद्देश्य इसके दायरे में मध्यस्थता समझौते की मान्यता और विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। इस उद्देश्य और उद्देश्य को, सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाली कानूनी व्यवस्था की प्रभावशीलता को बढ़ाने के प्रकाश में देखा जाना चाहिए।[9]

17. आईसीसीए गाइड के अनुसार, प्रवर्तन के लिए न्यायालय का दृष्टिकोण एक मजबूत समर्थक प्रवर्तन पूर्वाग्रह, व्यावहारिक, लचीला और गैर-औपचारिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। कई देशों में न्यायालय न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद IV की औपचारिक आवश्यकताओं की व्याख्या करने में उदार रहे हैं[10] विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के मामले में अत्यधिक औपचारिकता की भी निंदा की गई है।

18. इसमें अधिनियम की प्रस्तावना पर ध्यान देना प्रासंगिक है यह उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग कानून (UNCITRAL) ने UNCITRAL मॉडल कानून को अपनाया है 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता ("मॉडल कानून") और यह अधिनियम मॉडल कानून और नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मॉडल कानून का अध्याय VIII मान्यता और प्रवर्तन को नियंत्रित करता है पुरस्कार. अनुच्छेद 35(2)[11]प्रावधान है कि प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी पुरस्कार का मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति प्रदान की जाएगी। मॉडल कानून मान्यता और प्रवर्तन के प्रक्रियात्मक विवरण नहीं देता है, जिसे राष्ट्रीय प्रक्रियात्मक कानूनों और प्रथाओं पर छोड़ दिया गया है। हालाँकि, औपचारिक आवश्यकताओं को उदार बनाने के लिए 2006 में अनुच्छेद 35 (2) में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 35(2) के तहत मध्यस्थता समझौते की एक प्रति प्रस्तुत करना अब आवश्यक नहीं है।

19. न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उद्देश्य विदेशी पुरस्कारों का सुचारू और तीव्र कार्यान्वयन है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 47 में "करेगा" शब्द को "हो सकता है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। विपरीत दृष्टिकोण यह है कि किसी पक्ष के लिए मध्यस्थता समझौते या मूल को

दाखिल करना अनिवार्य है पुरस्कार या आवेदन दाखिल करते समय यह साबित करने के लिए कि पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार है, प्रवर्तन कार्यवाही को बाधित करने का प्रभाव होगा। यदि आवेदन दाखिल करते समय मध्यस्थता समझौता दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। दाखिल करने के प्रारंभिक चरण में प्रवर्तन के लिए आवेदन, धारा 47 में उल्लिखित दस्तावेजों के उत्पादन का अनुपालन न करने पर पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। प्रवर्तन की मांग करने वाले पक्ष को मध्यस्थता समझौते को दाखिल न करने के दोष को ठीक करने के लिए कहा जा सकता है। समझौते की वैधता प्रवर्तन कार्यवाही के बाद के चरण में ही तय की जाती है।

20. यह नोट करना प्रासंगिक है कि प्रवर्तन के लिए आवेदन के समय मध्यस्थता समझौते को दाखिल न करने से पुरस्कार के प्रवर्तन पर आपत्ति करने वाली पार्टी पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसके अलावा, मॉडल कानून के तहत मध्यस्थता समझौते की एक प्रति दाखिल करने की आवश्यकता जिसे औपचारिक आवश्यकता के रूप में वर्गीकृत किया गया था से छुटकारा पा लिया गया। धारा 48 जो उन आधारों को संदर्भित करती है जिन पर किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है, इसमें धारा 47 में उल्लिखित दस्तावेजों को दाखिल न करना शामिल नहीं है। विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए एक आवेदन केवल निर्दिष्ट आधारों पर खारिज किया जा सकता है। धारा 48. इससे इस दृष्टिकोण को भी समर्थन मिलेगा कि आवेदन के समय धारा 47 में उल्लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी।

21. अधिनियम की धारा 47 में "करेगा" शब्द को "हो सकता है" के रूप में पढ़ने का मतलब केवल यह होगा कि पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को आवश्यक रूप से न्यायालय के समक्ष उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है

उसमें "आवेदन के समय"। हम यह स्पष्ट करते हैं कि "करेगा" शब्द की "हो सकता है" के रूप में उक्त व्याख्या केवल आवेदन दाखिल करने के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित है, उसके बाद नहीं। अपीलकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि कुछ न्यायालयों में न्यायालयों ने विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए दस्तावेजों को दाखिल करने के संबंध में सख्त रुख अपनाया है। कई अन्य न्यायालयों में न्यायालयों ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है कि विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के लिए आवेदन पुरस्कार और मध्यस्थ समझौते सहित प्रासंगिक दस्तावेजों को दाखिल न करने पर अस्वीकृति की गारंटी नहीं देता है। हमें इस मुद्दे पर निर्णय लेने की

आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मामले का विषय प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान मध्यस्थता समझौते को दाखिल न करने से संबंधित नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता समझौते को दोनों पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया है।

22. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने चार्टर पार्टी पर हस्ताक्षर नहीं किया है और उसे समझौते में एक पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनुबंध अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होता है जिसके तहत इसे बाध्यकारी बनाने के लिए चार्टर पार्टी पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस बिंदु पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को मंजूरी देने और अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण को खारिज करने में कोई संदेह नहीं है। प्रचुर मात्रा में सामग्री की जांच मध्यस्थ और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए की गई कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद था। अधिनियम की पहली अनुसूची का अनुच्छेद II मध्यस्थता समझौते को एक अनुबंध या एक मध्यस्थता समझौते में एक मध्यस्थ खंड सहित, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित या पत्रों या टेलीग्राम के आदान-प्रदान में शामिल के रूप में परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि चार्टर पार्टी जिसमें मध्यस्थता समझौता शामिल था, उस पर पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और उसमें प्रवेश किया गया था और यह पार्टियों के बीच पत्राचार द्वारा समर्थित है। अनुच्छेद II में "लिखित समझौता" शब्द बहुत व्यापक है। एक मध्यस्थ खंड को किसी अनुबंध या एक मध्यस्थ समझौते में आवश्यक रूप से पाया जाना आवश्यक नहीं है। इसे पार्टियों के बीच पत्राचार में भी शामिल किया जा सकता है। वर्तमान मामले में मध्यस्थता समझौता चार्टर पार्टी में पाया जाता है जिसे मध्यस्थ और उच्च न्यायालय दोनों ने स्वीकार कर लिया है। हमें इस बिंदु पर उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न होने का कोई कारण नहीं दिखता।

23. हमारे दिनांक 10.10.2007 के आदेश के अनुसार, मध्यस्थ द्वारा दी गई मूल राशि इस न्यायालय में जमा की गई थी और समय-समय पर सावधि जमा में पुनर्निवेशित की गई थी। बैंक में पड़ी राशि का भुगतान प्रतिवादी को किया जाएगा।

24. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है और अपील खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं.

कल्पना के.त्रिपाठी अपील खारिज.

1. रानी इग राज कुएर बनाम राजा श्री अमर कृष्ण नारायण सिंह, [1960 (2) एससीआर 431]

2 काल्डो बनाम पिक्सवेल, (1876) 2 सीपीडी 562

3 क़ानून कानून पर संकट, 5 वां संस्करण।

4 मोहन सिंह बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1997) 9 एससीसी 132।

5 प्रत्येक संविदाकारी राज्य मध्यस्थ पुरस्कारों को बाध्यकारी के रूप में मान्यता देगा और उन्हें निम्नलिखित लेखों में निर्धारित शर्तों के तहत उस क्षेत्र की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार लागू करेगा जहां पुरस्कार पर भरोसा किया गया है। जिन मध्यस्थ पुरस्कारों पर यह कन्वेंशन लागू होता है, उनकी मान्यता या ई-प्रवर्तन पर घरेलू मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता या प्रवर्तन पर लगाए गए शुल्कों की तुलना में बहुत अधिक कठोर शर्तें या उच्च शुल्क या शुल्क नहीं लगाए जाएंगे।

6. पिछले लेख में उल्लिखित मान्यता और प्रवर्तन प्राप्त करने के लिए, मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी को आवेदन के समय आपूर्ति करनी होगी: (ए) विधिवत प्रमाणित मूल पुरस्कार या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति; अनुच्छेद II में उल्लिखित मूल समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति। 2. यदि पुरस्कार पर भरोसा किया जाता है, पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी ने कहा कि पुरस्कार या समझौता उस देश की आधिकारिक भाषा में नहीं किया गया है जिसमें इन दस्तावेजों का ऐसी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। अनुवाद किसी अधिकारी या शपथ अनुवादक या किसी राजनयिक या कांसुलर एजेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

7 1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य लिखित रूप में एक समझौते को मान्यता देगा जिसके तहत पार्टियां किसी विषय वस्तु से संबंधित परिभाषित कानूनी संबंध, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं, के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वाले सभी या किसी भी मतभेद को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का वचन देती हैं। मध्यस्थता द्वारा समाधान करने में सक्षम. 2. शब्द "लिखित समझौता" में अनुबंध या मध्यस्थता समझौते में एक मध्यस्थ खंड शामिल होगा, जो पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित या पत्रों या टेलीग्राम के आदान-प्रदान में शामिल होगा। 3. एक संविदाकारी राज्य की अदालत, जब किसी ऐसे मामले में कार्रवाई जब्त कर ली जाती है जिसके संबंध में पार्टियों ने इस लेख के अर्थ के भीतर एक समझौता किया है, तो पार्टियों में से एक के अनुरोध पर, पार्टियों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा , जब तक कि उसे यह न पता चल जाए कि उक्त समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ है।

8. 1958 के न्यूयॉर्क कन्वेंशन की व्याख्या के लिए आईसीसीए की मार्गदर्शिका: ए हैंडबुक फॉर जजेज "(2011) पी। XI (इसके बाद, ICCA गाइड)।

9 दरदाना लिमिटेड बनाम युकोस ऑयल कंपनी, [2002] 1 ऑल ईआर (कॉम.) 819

10. 1958 का न्यूयॉर्क मध्यस्थता सम्मेलन - अल्बर्ट वैन डेन बर्ग द्वारा

11.किसी पुरस्कार पर भरोसा करने वाली या उसके प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी को मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति प्रदान करनी होगी। यदि पुरस्कार इस राज्य की आधिकारिक भाषा में नहीं दिया गया है, तो अदालत पक्ष से ऐसी भाषा में उसका अनुवाद उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकती है।

अनुवादकः- एंजलीना जॉन
सिविल जज सीनियर डिविजन-6
धनबाद।